न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील 11/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह 2. बाबूकंवर उर्फ लक्ष्मीकंवर पत्नी भंवरसिंह 3. बाबूसिंह पुत्र तख्तसिंह 4. चन्दनसिंह पुत्र तख्तसिंह 5. झबरसिंह पुत्र तख्तसिंह 6. सिरेकंवर पत्नी शैतानसिंह 7. लूणसिंह पुत्र शैतानसिंह 8. नारायणसिंह पुत्र नखतसिंह 9. दानसिंह पुत्र रायसिंह 10. गम्भीरसिंह पिसरान रायसिंह 11. लाधुकंवर पत्नी हुकमसिंह 12. तेम्डरावसिंह पुत्र हुकमसिंह 13. जालमसिंह पुत्र हुकमसिंह 14. बुलिदानसिंह पुत्र किशनसिंह 15. कंवराजसिंह उर्फ कंवरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 16. लालसिंह पुत्र नखतसिंह 17. कुम्पसिंह पुत्र नखतसिंह 18. श्रवणसिंह पुत्र नखतसिंह जातियान –राजपूत निवासीगण –खेतासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. विजयकंवर पत्नी साजनसिंह 2. विरेन्द्रसिंह पुत्र नगसिंह 3. भंवरकंवर पत्नी नगसिंह जातियान राजपूत निवासीगण–खेतासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 4. शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी शाखा– सांकडा 5. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, पोकरण 6. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 35/2020 अनवान विजयकंवर वगैराह बनाम बाबूकंवर वगैराह में पारित किया गया

उपस्थिति

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता, अपीलाण्टगण की ओर से।
2. श्री मनोज कुमार बिस्सा, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 11/2024 अनवान भंवरसिंह वगै. बनाम विजयकंवर वगैराह

निर्णय

दिनांकः 17 मार्च, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ता तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111,128 एवं 129 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खसरा संख्या 879 रकबा 0.09 बीघा, ख0सं0 880 रकबा 259.13 बीघा भूमि ग्राम खेतासर तहसील पोकरण में स्थित है, जिसकी लट्ठा ट्रेस में पक्की तरमीम की हुई है। उक्त खसरा भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा में ख0सं0 880/1 एवं ख0सं0 883 व उत्तर दिशा में ख0सं0 881 की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत के बीच में कणा व माठ डालकर खेत की सीमा को बार बार हटा कर अन्दर घुसने का प्रयास करने लगे तब प्रार्थीगण ने दिनांक 27.6.2018 को अपने दोनो खसरा नम्बरों की पैमाइश कराना चाहा, लेकिन पैमाइश के दौरान अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। मौके पर रूबरू मौतबिरान द्वारा फर्द पर हस्ताक्षर कर दिये गये। तब प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपने खसरे की भूमि की पुख्ता पाईन्ट से पैमाइश कर प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान कर स्थाई पत्थरगढी/नेखमबन्दी करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2024 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2024 में अंकित तथ्यों के अनुसार यह अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण से अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हुआ था। दिनांक 22.12.2023 को मौके पर पटवारी हल्का/तहसीलदार पोकरण आये तब अपीलान्ट को पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का आदेश पारित किया हुआ है। अपीलान्ट्स के द्वारा दिनांक 18.2.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपीलाधीन आदेश की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 19.01.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का प्रथम ज्ञान होने की दिनांक से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनने के उपरान्त न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण को जो नोटिस जारी किये गये, वो नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामिल करवाये बिना ही तथा आदेशिका में तामील के बारे में कुछ भी नहीं लिखते हुए एकतरफा कार्यवाही करके प्रत्यर्थी की एकतरफा बहस सुनते हुए आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है जो कि पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि की सीमाओं के सम्बन्ध में आज दिन तक कोई विवाद नहीं रहा है और मौके पर सीमा का कोई विवाद नहीं है। ख0सं0 88रु व 881 अपीलान्ट्स की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट्स ने भी यह माना है कि उक्त भूमि तरमीमशुदा है जिससे स्पष्ट होता है कि पक्षकार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट्स उक्त सीमा को बार–बार हटाकर अन्दर घुसने का कोई प्रयास नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र बिना किसी तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो कि पक्षकारान के बीच सीमाओं का विवाद नहीं होने से स्वीकार करने योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई और न ही स्वयं के द्वारा मौका देखा गया। बिना मौका रिपोर्ट के अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह कथन भी किया कि अगर रेस्पोडेन्ट्स को सीमाज्ञान व पत्थरगढी सम्बन्धी विवाद है तो राजस्व अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारियों की टीम से न करवाकर भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से तकनीकी सहयोग से करवाना उचित रहता है जैसा कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों के क्रम में जारी संशोधित परिपत्र दिनांक 15.5.2017 में उल्लेख किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश भी उक्त परिपत्र के अनुसार पारित नहीं किया गया है। पक्षकारान की कब्जा काश्त की भूमियॉ एक–दूसरे से सटी हुई है तथा सीमाज्ञान के अभाव में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है जबकि पक्षकारान के मध्य न तनाव रहता आ रहा है और न ही पक्षकारान के बीच आपसी फौजदारी प्रकरण पंजीकृत हुआ है। अतः अपील पेश करते हुए निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 को निरस्त किया जावें। अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2009 (2) पेज 931, आरंआरटी 2015 (1) पेज 608, आरआरडी दिनांक 14.5.2017 पेज 289 पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111,128 एवं 129 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खसरा संख्या 879 रकबा 0.09 बीघा, ख0सं0 880 रकबा 259.13 बीघा भूमि ग्राम खेतासर तहसील पोकरण में स्थित है, जिसकी लट्ठा ट्रेस में पक्की तरमीम की हुई है। उक्त खसरा भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा में ख0सं0 880/1 एवं ख0सं0 883 व उत्तर दिशा में ख0सं0 881 की अन्य अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत के बीच में कणा व माठ डालकर खेत की सीमा को बार–बार हटा कर अन्दर घुसने का प्रयास करने लगे तब प्रार्थीगण ने दिनांक 27.6.2018 को अपने दोनो खसरा भूमि की पैमाइश की लेकिन पैमाइश के दौरान अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। मौके पर रूबरू मौतबिरान द्वारा फर्द पर हस्ताक्षर किये गये। तब प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपने खसरे की भूमि की पुख्ता पाईन्ट से

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पैमाइश कर प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान कर स्थाई पत्थरगढी/नेखमबन्दी करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्राथीगण को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये गये, परन्तु अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने की जानकारी होने पर भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 17.10.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित कर ख0सं0 879, 880 ग्राम खेतासर का उभय पक्षकारान की उपस्थिती में सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करने का आदेश दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से उचित होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्र में पत्थरगढी कार्यवाही से प्रभावित होने वाले पडौसी खातेदारान यानि वर्तमान अपीलान्टस को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को विधिक रूप से नोटिस जारी किये गये है परन्तु उनके नोटिस उनके रिश्तेदारों द्वारा तामील करने के उपरान्त भी एवं वर्तमान अपीलान्ट्स को प्रकरण की जानकारी होते हुए भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट्स के द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम में भी ऐसा कोई ठोस कारण का उल्लेख नहीं किया है कि उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी तत्समय में हो नही सकी। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश की पालना मौके पर किये जाने पर अपीलान्टस के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया तब पुलिस की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण करवाई गई। ऐसे में अपीलान्ट्स की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य हो गई है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन व चिन्तन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

एक ता तीन के प्रार्थना पत्र पर पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि अपीलाधीन प्रकरण में उनको विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये गये और सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाई जाने हेतु आवेदन किया गया था तथा वर्तमान अपीलान्ट्स को अप्रार्थी पक्षकार अवश्य बनाया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उनको सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसेस विधिवत तामील होकर प्राप्त हुए हो और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो, जबकि अपीलान्ट्स रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार है, अपीलाधीन आदेश की कियान्विती से उनकी भूमि की सीमाएं भी अवश्य प्रभावित होंगी। प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत प्रभावित पक्षकारान/ खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसें में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि के बाबत प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 17 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर